कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर

क्रमांक/विनियमन/2025 207 जबलपुर दिनांक 28.3.25

आदेश

1. शारदा चौक बेदी नगर, नागपुर रोड जबलपुर स्थित एप्पल हॉपिस्टल के भवन में अस्पताल का संचालन म.प्र. रूजोपचार्य गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 व उसके परिपालनार्थ जारी स्वास्थ्य विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2022, 16.12.2022 व 18.08.2022 तथा म्यूनिसिपल कानूनों के उल्लंघन में किये जाने संबंधी प्रथम शिकायत श्री धीरज कुकरेजा व श्री स्वप्निल सराफ अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.05.2024 को, द्वितीय शिकायत श्री प्रशांत वैश्य द्वारा दिनांक 28.11.2024 को और तृतीय शिकायत श्री संदीप गर्ग द्वारा दिनांक 22.02.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त हुई थी।
2. शिकायतों के सत्यापनार्थ व निवारणार्थ नगर निगम जबलपुर से अभिमत चाहा गया था। जिसके तारतम्य में नगर निगम ने अपने पत्र कमांक 983, दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से जो अभिमत दिया गया, उसके अनुसार नगर निगम के द्वारा स्थल की स्वीकृति अवासीय उद्देश के लिये दी गई थी, लेकिन स्थल पर निर्मित भवन में स्वीकृत उद्देश के विपरीत अस्पताल संचालित होना पाया, एवं नगर निगम द्वारा जारी कंपाउंडिंग स्वीकृत नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. म.प्र. नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा पत्र कमांक 152, दिनांक 10.02.2025 में प्रस्तुत अभिमत के अनुसार उक्त अस्पताल भवन के पक्ष में विकास अनुज्ञा जारी नहीं गई गई है।
4. शिकायत में लगाये गये आरोपों के संबंध में अस्पताल प्रबंधन को पत्र कमांक 480, दिनांक 10.01.2025 के द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था लेकिन 02 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी उपरोक्त कमियां दूर करने में अस्पताल असफल रहा है।

उक्त अस्पताल के पास संस्थागत भवन अनुज्ञा पत्र उपलब्ध न होने तथा भवन में उपरोक्त वर्णित नगर पालिका विधियों का उल्लघंन होने के फलस्वरूप उक्त भवन में आगे अस्पताल संचालन की अनुमति दिया जाना नर्सिंग होम व म्यूनिसपिल विधियों के विपरीत होगा। अतः अस्पताल को जारी पंजीयन कमांक एनएच/1724/जून 2024 दिनांक 19.06.2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

नोट – संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित किया जाता है कि आदेश जारी दिनांक से नये मरीजों को भर्ती न करते हुये, पुराने भर्ती मरीजों का समुचित उपचार उपलब्ध कराकर उन्हें डिस्चार्ज कर इस कार्यालय को सूचित करें ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जबलपुर

पृष्ठा.क्र./विनियमन/2025 3397-98 जबलपुर दिनांक 28.3.25

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

01. आयुक्त स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. ।
02. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामयम भोपाल म.प्र ।
03 अपर संचालक अस्प.प्रशा. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. ।
04. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर ।
05. कलेक्टर जबलपुर ।
06. थाना प्रभारी संबंधित क्षेत्र जबलपुर
07 संबंधित निजी चिकि./उपचार गृह की ओर पालनार्थ ।
08. कार्यालय नस्ती ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner